



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112024-258387  
CG-DL-E-01112024-258387

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4388]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2024/कार्तिक 8, 1946

No. 4388]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2024/KARTIKA 8, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4765(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2939 तारीख 24/07/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कि.मी. 0 से कि.मी.7.8 (प्रान्त औफस, थराद) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०१.०८.२०२४" को "संदेश" और "ध टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कि.मी. 0 से कि.मी.7.8 (प्रान्त औफस, थराद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: बनासकांठा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: थराड					
गांव का नाम: थराड					
1	314/पैकी1	निजी	गैर कृषि	0.1004	राजपूत पथुसिंह वाघजीभाई, राजपूत जगदीशभाई वाघजीभाई, राजपूत रमेशभाई वाघजीभाई, राजपूत कनकसिंह वाघजीभाई, राजपूत प्रवीणसिंह वाघजीभाई 314/P1
गांव का नाम: वजेगढ					
2	168/पैकी1/पैकी2	निजी	गैर कृषि	0.9364	वाघेला भरतकुवरवा रणमलसिंहजी, वाघेला कैलाशकुवरवा रणमलसिंहजी 168/P1/P2

3	168/पैकी1/पैकी2/पैकी	निजी	गैर कृषि	0.05	अल्पाबेन जिग्नेश महेता 168/P1/P2/P
4	168/पैकी1/पैकी2/पैकी	निजी	गैर कृषि	0.1	पवनबाई बलवंतभाई वाघेला 168/P1/P2/P
5	168/पैकी1/पैकी2/पैकी	निजी	गैर कृषि	0.05	प्रियंका स्वतकुमार कोरडिया 168/P1/P2/P
6	168/पैकी1/पैकी2/पैकी	निजी	गैर कृषि	0.1	एवन कुवरबा जनकसिंहजी वाघेला 168/P1/P2/P
<b>गांव का नाम: मालूपुर</b>					
7	574/पैकी2	निजी	गैर कृषि	0.2665	रामजीभाई वाघाभाई पटेल 574/P2
8	574/पैकी2	निजी	गैर कृषि	0.05	गिताबेन महेशभाई पटेल 574/P2
9	574/पैकी2	निजी	गैर कृषि	0.2126	जगताभाई दानजीभाई पटेल गजाभाई तलशाजी पटेल हितेशभाई नानंजीभाई पटेल रमेशभाई चेलाभाई पटेल रमेशभाई वनाजीभाई पटेल 574/P2
<b>गांव का नाम: नानी पावड़</b>					
10	351	सरकारी	रोड	0.006	श्री सरकार 351
<b>Total</b>				<b>1.8719</b>	

[फा. सं. NHAI/PIU-Palanpur/2021/Tharad-Ahmedabad/3(a)/3D]

अभय जैन, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2024

**S.O. 4765(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2939 Dated:24/07/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Expressway in the stretch of land from Km. 0 to Km. 7.8 (Prant Office, Tharad) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT ;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Sandesh” both dated 01.08.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield Expressway in the stretch of land from Km. 0 to Km. 7.8 (Prant Office, Tharad) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT**

State: GUJARAT			District: Banaskantha		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Tharad</b>					
<b>Village: Tharad</b>					
1	314/P1	Private	Non Agriculture	0.1004	Rajput Pathusingh Vaghjibhai, Rajput Jagdishbhai Vaghjibhai, Rajput Rameshbhai Vaghjibhai, Rajput Kanaksinh Vaghjibhai, Rajput Pravinsinh Vaghjibhai 314/P1
<b>Village: Vajegadh</b>					
2	168/P1/P2	Private	Non Agriculture	0.9364	Vaghela Bharatkuvraba Ranmalsinhji, Vaghela Kailashkuvraba Ranmalsinhji 168/P1/P2

3	168/P1/P2/P	Private	Non Agriculture	0.05	Alpaben Jignesh Mehta 168/P1/P2/P
4	168/P1/P2/P	Private	Non Agriculture	0.1	Pawanbai Balvantbhai Vaghela 168/P1/P2/P
5	168/P1/P2/P	Private	Non Agriculture	0.05	Priyanka Swetkumar Koradiya 168/P1/P2/P
6	168/P1/P2/P	Private	Non Agriculture	0.1	Avan Kuvraba Janaksinhji Vaghela 168/P1/P2/P
<b>Village: Malupur</b>					
7	574/P2	Private	Non Agriculture	0.2665	Ramjibhai Vaghabhai Patel 574/P2
8	574/P2	Private	Non Agriculture	0.05	Gitaben Maheshbhai Patel 574/P2
9	574/P2	Private	Non Agriculture	0.2126	Jagatabhai Danjibhai Patel Gajabhai Talshaji Patel Hiteshbhai Nanjibhai Patel Rameshbhai Chelabhai Patel Rameshbhai Vanajibhai Patel 574/P2
<b>Village: Nani Pavad</b>					
10	351	Government	Road	0.006	Shri Sarkar 351
<b>Total</b>				<b>1.8719</b>	

[F. No. NHAI/PIU-Palanpur/2021/Tharad-Ahmedabad/3(a)/3D]

ABHAY JAIN, Director